मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

ज्ञापन

क्रमांक: १४९७ :सी.आर.६४१:१:३: भोपाल, दिनांक २९ आषाढ, १८८७ ।
२० जुलाई, १९६५ ।

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल,
सभी संभागीय आयुक्त,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी कलेक्टर,
मध्य प्रदेश ।

विषय: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और बेगार ।

संदर्भ: इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक ४५५२:६२६:१ दिनांक ३:६:५८ ।

इस विभाग के उपर्युक्त संदर्भित ज्ञापन द्वारा निर्देशित किया गया था कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से बिना अतिरिक्त भुगतान के वरिष्ट अधिकारियों द्वारा निजी कार्य लिया जाना बंद किया जाय किन्तु शासन के देखने में यह आया है कि अभी भी बिना अतिरिक्त भुगतान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से निजी काम लिया जाता है । इससे भी बदतर यह है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से वरिष्ट अधिकारियों द्वारा इस तरह से निजी काम लिया जाता है जैसे कि वे पूरे समय के लिये उनके निजी सेवक हों । शासन इस स्थिति से अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करता है । चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी शासकीय कार्य करने के लिये हैं । यदि ऐसा कोई कर्मचारी स्वेच्छापूर्वक अतिरिक्त भुगतान करने पर निजी काम करने के लिये सहमत हो तो ऐसा काम उसे, उस शासकीय काम कर लेने के बाद जो उसे सुपुर्द किया गया है, करने दिया जा सकता है । किसी भी स्थिति में उसे निजी काम करने के लिये अधिकारियों द्वारा बाध्य नहीं किया जा सकता ।

२. शासन की मंशा है कि इन आदेशों की ओर राज्य के समस्त कर्मचारियों का ध्यान आकर्षित किया जाय तथा इन आदेशों

:.........२:

का दृढता से पालन हो इस ओर विशेष ध्यान दिया जाय ।

राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,
अ.श. सिद्दीकी
:अ.श. सिद्दीकी:
उप सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक: १४६८ :सी.आर.६४२:१:३: भोपाल, दिनांक २० जुलाई, १९६५ ।

इसकी प्रति,

:१: निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश, जबलपुर,
सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश, इन्दौर,
आयुक्त, सतर्कता आयोग,

:२: मध्य प्रदेश के राज्यपाल के सचिव । सैनिक सचिव,
सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय ।

:३: स्थापना अधिकारी । फंडोफ्त । लेखा अधिकारी ।
अभिलेख अधिकारी, मध्य प्रदेश सचिवालय, भोपाल ।

:४: मुख्य मंत्री । मंत्रियों के तथा राज्य मंत्रियों के निजी
सहायकों,

को सूचनार्थ अग्रेषित ।

अ.श. सिद्दीकी
:अ.श. सिद्दीकी:
उप सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

द.१६:७